

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 1999 (फाल्गुन 26, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94-विक-पांच (70), दिनांक 14 सितम्बर, 1998 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अर्धीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, श्री नरेन्द्र बिरथरे तथा राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, शिवपुरी जिले के बैराड पुलिस कर्मियों द्वारा डकैत के बजाय एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा तथा श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठीर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

- (क) पृथ्वीपुर नगर में महाविद्यालय भवन बनाये जाने,
- (ख) ग्राम टीला से गितकिनी तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
- (ग) गोरा-कुत्तुआ मार्ग के नालों पर पुलिया बनाये जाने,

(2) श्री बृजराज सिंह चौहान, सदस्य, श्योपुर जिले के पार्वती नदी पर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की स्वीकृति दिलाये जाने,

(3) श्री बंशीलाल जाटव, सदस्य, भिण्ड जिले के -

- (क) ग्राम चिरावली के मजरा फूलबाग में बिजली लगाये जाने, तथा
- (ख) ग्राम महुआ में बिजली लगाये जाने, तथा

(4) श्री हीराचन्द्र चन्देलकर, सदस्य, बैतूल जिले के आमला नगर में -

- (क) महाविद्यालय का उन्नयन किये जाने,
- (ख) तहसील कार्यालय भवन बनाये जाने, तथा
- (ग) कृषि उपज मंडी भवन बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

### 5. वक्तव्य

(1) श्री रत्नेश सोलोमन, वन मंत्री, दिनांक 10 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 285) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री, दिनांक 24 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 2978) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 9 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 1999 (क्रमांक 10 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

निर्धारित  
समय

7. वर्ष 1999-2000 की अनुमानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

2 घन्टे	(1) मांग संख्या 25 मांग संख्या 44 मांग संख्या 47 मांग संख्या 70	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय उच्च शिक्षा जनशक्ति नियोजन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
2 घन्टे	(2) मांग संख्या 12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
3 घन्टे	(3) मांग संख्या 22 मांग संख्या 69 मांग संख्या 81 मांग संख्या 83 मांग संख्या 85	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
3 घन्टे	(4) मांग संख्या 26 मांग संख्या 30 मांग संख्या 37 मांग संख्या 80 मांग संख्या 82 मांग संख्या 84 मांग संख्या 86	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय पर्यटन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

भोपाल :  
दिनांक : 18 मार्च, 1999

के.पी. तिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.